दिनांक 20.7.2012 को आयोजित 12वीं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक का कार्यवाही विवरण

माननीय मुख्यमन्त्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 20.7.2012 को सायं 6.00 बजे 12वीं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित माननीय मन्त्रीगण एवं अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

12.1 बैठक के प्रारंभ में मौसम विभाग के निदेशक ने राज्य में वर्षा की स्थिति पर प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि अगले सप्ताह में राज्य में वर्षा होने की संभावना है।

12.2 माननीय मुख्यमन्त्री जी ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में कम वर्षा की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक विभाग तैयारी कर लें।

12.3 माननीय मुख्यमन्त्री जी ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रम मद के भुगतान हेतु 75 प्रतिशत गेहूँ उपलब्ध करवाने तथा 100 दिवस पूर्ण कर चुके श्रमिकों के लिए 200 दिवस रोजगार उपलब्ध कराने की स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये। मुख्यमन्त्री महोदय ने यह भी निर्देशित किया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधान के अनुसार रोजगार की मांग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जावे एवं यदि नियमानुसार रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो नियमानुसार भत्ते का भुगतान किया जावे। इस प्रावधान की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे। इस प्रावधान की पालना नहीं करने वाले

विकास अधिकारी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावे। इस आशय के निर्देश अविलम्ब जारी कर उसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावे।

(कार्यवाही ग्रामीण विकास विभाग)

12.4 शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा राज्य में खरीफ एवं रबी संवत 2068 में अभावेग्रस्त घोषित 11 जिलों में से 5 जिलों में राहत गतिविधियों के संचालन की अवधि 31 जुलाई 2012 तक बढाने के निर्णय का कार्योत्तर अनुमोदन प्रस्तावित किया, जिसका अनुमोदन किया गया।

शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता ने भारत सरकार द्वारा SDRF/NDRF से देय सहायता बाबत दिनांक 16.1.2012 को जारी संशोधित मानदण्डों बाबत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी प्रदान करते हुए अवगत करवाया कि उक्त संशोधित मानदण्डों में भारत सरकार द्वारा सूखे की स्थिति में पेयजल परिवहन, पशु शिविर संचालन आदि राहत गतिविधियों की समय अवधि विस्तार करने बाबत राज्य कार्यकारी समिति की सक्षमता के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। इस पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राहत प्रदान करने हेतु पूर्व में प्रचलित प्रावधानों को बहाल करने हेतु माननीय मुख्यमन्त्री जी की ओर से भारत सरकार को पुनः प्रस्ताव प्रेषित किये जावें।

(कार्यवाही आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग)

12.5 प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने बताया कि वर्षा की कमी के कारण वर्तमान में आवश्यकतानुसार टेंकरों

के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की जा रही है व आगे भी यदि वर्षा नहीं होती है तो इसे चालू रखा जावेगा।

(कार्यवाही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)

12.6 माननीय मुख्यमन्त्री जी ने निर्देशित किया कि किसानों से समाचार पत्रों एवं मीडिया के माध्यम से रबी में अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों की बुवाई नहीं करने की अपील की जावे, ताकि पानी की बचत संभव हो सके।

(कार्यवाही कृषि विभाग)

12.7 प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग ने अवगत कराया कि भाखरा नांगल बांध एवं पोंग बांध दोनों में ही भराव क्षमता से कम पानी है, इसका कारण जून एवं जुलाई माह में कम वर्षा होने तथा अप्रेल माह में अधिक गर्मी नहीं पडने के कारण ग्लेशियर कम पिघलने से इनमें पानी कम आया है, जो चिन्ता का विषय है। इस बिन्दु पर विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि इन बांधों से सिंचित क्षेत्र के किसानों को इस सम्बन्ध में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि पानी में कटौती बाबत उन्हें पूर्व सूचना रहे।

(कार्यवाही जल संसाधन एवं कृषि विभाग)

12.8 पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता के सम्बन्ध में माननीय सहकारिता मन्त्री जी ने जानकारी दी कि दौसा तथा सवाई माधोपुर जिलों में चारे की कमी हो गई है, क्योंकि जिन लोगों के पास अतिरिक्त चारा है वे कमी की आशंका के कारण चारे का संग्रहण कर रहे है। इससे चारे के भाव बढ गये हैं। हरे चारे के भाव भी बढ

रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन ने भी बताया कि पिछले दिनों में चारे के भाव बढे हैं। राज्य के बांसवाडा, डूँगरपुर, उदयपुर आदि जिलों में चारे की कमी है। राज्य में पशु आहार की मांग है। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री जी एवं आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मन्त्री जी का सुझाव था कि वर्षा औसत से 20 प्रतिशत कम रहने की सम्भावना है अतः पेयजल एवं चारे के लिए आपातकालीन योजना तैयार की जानी चाहिए। इस पर माननीय मुख्यमन्त्री जी ने निर्देश दिए कि वर्षा कम होने की आशंका को देखते हुए कृषि एवं पशुपालन विभाग आपातकालीन योजना तैयार कर लेवें तथा चारे का इन्तजाम जिन क्षेत्रों से किया जाना है, उनको पहले से ही चिन्हित कर लिया जावे।

(कार्यवाही कृषि विभाग एवं पशु पालन विभाग)

12.9 प्रमुख शासन सचिव, कृषि ने अवगत कराया कि 22 जिलों का कण्टीजेन्सी प्लान तैयार कर लिया गया है। अभी तक राज्य में लक्ष्य की तुलना में 48 प्रतिशत क्षेत्र में खरीफ की बुवाई हुई है। 25 जुलाई के बाद अगस्त के प्रथम सप्ताह तक वर्षा की स्थिति में दलहन की बुवाई हो सकती है। वर्षा को देखकर उक्त कार्ययोजना पर आगे कार्यवाही की जाएगी। माननीय मुख्यमन्त्री जी ने प्रमुख शासन सचिव, कृषि को निर्देशित किया कि भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु ज्ञापन शीघ्र तैयार किया जावे। जिससे भारत सरकार के स्तर से राज्य के लिए आवश्यक मदद की मांग की जा सके।

(कार्यवाही कृषि विभाग)

12.10 शासन सचिव, उर्जा ने बैठक में अवगत कराया कि गर्मी बढ जाने से पिछले चार पॉच दिनों में बिजली की मांग बढ गई है। रबी की फसल के लिए बिजली की आपूर्ति हेतु तैयारी कर ली गई है। उन्होंने विद्युत कम्पनियों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण की स्थिति बाबत भी जानकारी प्रदान की।

(कार्यवाही उर्जा विभाग)

12.11 अन्त में माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने खरीफ फसल बुवाई, पशु चारे की उपलब्धता, पीने के पानी की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, महात्मा गांधी नरेगा योजना में अतिरिक्त रोजगार एवं मानव व पशु बीमारियों की रोकथाम बाबत संबंधित विभागों को आपात्कालीन योजना तैयार करने तथा प्रभावित जनता को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु आवश्यक पूर्व तैयारी करने के निर्देश दिए।

(कार्यवाही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, उर्जा, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)

तत्पश्चात बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

शासन सचिव

परिशिष्ट "अ"

दिनांक 20.07.2012 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित मंत्रीगण एवं अधिकारीगण।

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	श्री एमाद्दुदीन अहमद दुरू मिंया	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
2	श्री प्रसादी लाल मीणा	सहकारिता मंत्री
3	डा0 जितेन्द्र सिंह	जल संसाधन एवं ऊर्जा मंत्री
4	श्री बिजेन्द्र सिंह ओला	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री

5	श्री सी. के. मैथ्यू	मुख्य सचिव
6	डा0 वी.एस. सिंह	अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग
7	श्री सी0एस0 राजन	अति0मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
8	श्री अशोक सम्पतराम	अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग
9	श्री ओ. पी. मीणा	अति. मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग
10	श्री जी.एस. संधु	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
11	श्री विपिन चन्द शर्मा	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग
12	डा0 पुरूशोत्तम अग्रवाल	प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
13	श्री देवेन्द्र भुषण गुप्ता	प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग
14	श्री ओ. पी. सैनी	प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग
15	डा0 गोविन्द शर्मा	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
16	श्री मुकेश शर्मा	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
17	श्री पवन कुमार गोयल	सचिव, स्वायत्त शासन विभाग
18	श्री अभय कुमार	शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता
19	श्री रजत कुमार मिश्रा	सचिव, मुख्यमंत्री
20	श्री नरेश पाल गंगवार	शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
21	श्री कुंजी लाल मीणा	सी.एम.डी. डिस्कॉम
22	श्री एस.एस.सिंह	निदेशक, मौसम विभाग

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभ

पत्रांक:एफ 1(1)(4)आ.प्र.एवं स.आ/सामान्य–1/2007/9880-907

जयपुर,दिनांक: 1.8.12

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हे प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, कृषि एवं पशुपालन मंत्री, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, राजस्व मंत्री, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, राज.,जयपुर।
6. निजी सचिव, सहकारिता मंत्री, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, जल संसाधन मंत्री, राज.,जयपुर।
9. निजी सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री, राज., यपुर।
10. निजी सचिव, ऊर्जा मंत्री, राज., जयपुर।
11. उप सचिव, मुख्य सचिव, राज., जयपुर।
12. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग।
13. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
14. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग
15. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
19. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
21. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
22. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
23. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
24. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
25. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
26. निजी सचिव, शासन सचिव, ऊर्जा विभाग।
27. निजी सचिव, शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग।
28. निजी सचिव, निदेशक, सूचना विभाग, राज., जयपुर।

1/8/2012
शासन उप सचिव

D:\SDMA\Meeting Notice.doc 1.doc